कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

प्रशासनिक आदेश संख्या- 301 दिनांक- 28 .11.2024

आदेश

कासगंज बार एसोसिएशन के प्रस्ताव दिनांकित 21.11.2024 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभारी प्रशासन/प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, कासगंज से आख्या आहूत की गयी।

प्रभारी प्रशासन/प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, कासगंज द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 28.11.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 14218/Admin. (E-I) Section/XC-4/Dated: Allahabad: 23.10.2024 द्वारा जिला न्यायालयों में दीपावली के अवसर पर दिनांक 31 अक्टूबर 2024 (गुरूवार) को अवकाश घोषित किया गया था तथा इसके स्थान पर 23 नवम्बर 2024 को पड़ने वाले चतुर्थ शनिवार को न्यायिक कार्य हेतु खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस कार्यालय के प्रशासनिक आदेश संख्या 01 दिनांकित 01.01.2024 द्वारा दीपावली के अवसर पर दिनांक 31.10.2024 (गुरूवार) को पूर्व से ही स्थानीय अवकाश घोषित था। माननीय न्यायालय के उपरोक्त पत्र के अनुपालन में कार्यालय के प्रशासनिक आदेश संख्या 212 दिनांकित 25.10.2024 द्वारा दिनांक 31.10.2024 को पूर्व से घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुए उक्त दिवस को अवकाश घोषित कर दिया गया था तथा इसके स्थान पर माह नवम्बर 2024 में दिनांक 23.11.2024 को पड़ने वाले चतुर्थ शनिवार को न्यायिक कार्य हेतु न्यायालय खोले जाने हेतु आदेशित किया गया था, किन्तु एक दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी तिथि निर्धारित नहीं की गयी थी।

कासगंज बार एसोसिएशन द्वारा इस आशय का प्रस्ताव दिनांकित 21.11.2024 प्रेषित किया गया है कि दिनांक 11.12.2024 को स्थानीय मार्गशीर्ष मेला सोरों का अवकाश है। यह मेला काफी महत्व का स्थान रखता है तथा अन्य प्रान्तों से भी लोग इस मेले में आते हैं तथा काफी भीड़ रहती है। इसलिए दिनांक 31.10.2024 (गुरूवार) को पूर्व से घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त हो जाने के कारण उसके स्थान पर दिनांक 10.12.2024 को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः प्रभारी प्रशासन/प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, कासगंज की आख्या एवं कासगंज बार एसोसिएशन के उक्त प्रस्ताव के आलोक में दिनांक 31.10.2024 (गुरूवार) को पूर्व से घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त हो जाने के कारण उसके स्थान पर दिनांक 10.12.2024 (मंगलवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रेषित की जाये।

समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

(रामेश्वर)
जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कासगंज।
2- पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण, कासगंज।
3- अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, जनपद कासगंज।
4- जिलाधिकारी, कासगंज।
5- पुलिस अधीक्षक, कासगंज।
6- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7- अधीक्षक, जिला कारागार कासगंज।
8- मुख्य चिकित्साधिकारी, कासगंज।
9- जिला अभियोजन अधिकारी, कासगंज।
10- समस्त बार एसोसियेशन, कासगंज को सूचनार्थ।
11- केन्द्रीय नाजिर को जनपद न्यायालय कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12- सिस्टम आफीसर आदेश की सूचना जनपद न्यायालय कासगंज की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सत्य प्रतिलिपि
29/11/24
प्रशासनिक लिपिक
जनपद न्यायालय, कासगंज